दलित एवं अल्पसंख्यक अंतर्राष्ट्रीय मंच के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह
के अवसर पर प्रधान मंत्री का भाषण
दिनांक 29/12/2011

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मुझे इस सम्मेलन में आप लोगों के बीच मौजूद होने का मौका मिला है। सबसे पहले, मैं अपने मित्र श्री राम विलास जी को इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के आयोजन में एक अहम भूमिका निभाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि यह सम्मेलन हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं इस सम्मेलन में मौजूद सभी लोगों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और नए साल के लिए मुबारकवाद भी देता हूं।

बहुत पुराने समय से हमारे देश में अलग-अलग तहज़ीबें, मज़हब और संस्थाएं एक साथ फलते-फूलते रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति से ही हमारे समाज को ताकत मिलती रही है।

हमारे देश के बहुत से महान लोगों ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की बड़ी-बड़ी कोशिशें की हैं। सम्राट अशोक, सम्राट अकबर, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने देश में शांति, सहनशीलता और भाई-चारे को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया।

हमारा संविधान देश के नागरिकों को हर तरह के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है। मगर फिर भी, यह भी सच है कि कानूनी सुरक्षा और सरकारी सहायता के बावजूद हमारे देश के बहुत से हिस्सों में आज भी दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है।

हमारी सरकार का यह पक्का इरादा है कि समाज के सभी तबकों को बराबरी का हक मिले। हम दलितों और अल्पसंख्यकों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे।

हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने के लिए वनाधिकार कानून बनाया है। इस कानून के जरिए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को जमीन का मालिकाना हक़ हासिल है। हम चाहते हैं कि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसीलिए, मैंने अपने आफिस को निर्देश दिया है कि वह इस कानून को लागू करने में हुई प्रगति पर नज़र रखे।

मेरा पक्का विश्वास है कि हमारे देश के हर नागरिक को सशक्त बनाने और उसको अपना हक़ दिलवाने का सबसे अहम जरिया शिक्षा है। इसीलिए, हमारी सरकार ने इस बात पर ख़ास ध्यान दिया है कि कमज़ोर तबकों और अल्पसंख्यकों को अच्छी शिक्षा दी जाए। हमने, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों को दिए जाने वाले वज़ीफों की दरों और उनकी तादाद में काफी बढ़ोत्तरी की है।

मुझे खुशी है कि आज अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा तादाद में उद्योग लगा रहे हैं। हाल ही में, मुंबई में एक Indian Chamber of Commerce and Industry ने दो दिनों के Trade Fair का आयोजन किया था। इस Trade Fair का केन्द्र बिंदु था दलित Entrepreneur को बढ़ावा देना। इस Trade Fair में श्री रतन टाटा जी ने कहा था कि हम सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि देश के दलित Entrepreneurs, Global Entrepreneurs बन सकें। हमारी सरकार इस बात से पूरी तरह सहमत है। हमने तय किया है कि जहां Micro, Small and Medium Enterprises से

सरकारी खरीद में अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के Entrepreneurs को प्राथमिकता दी जाएगी।

हाल ही में, हमारी सरकार ने Handloom क्षेत्र के पुराने बकाया कर्ज़ को माफ करने के लिए 3884 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों के तमाम बुनकरों को Handloom क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। इस पैकेज से लगभग 3 लाख निजी बुनकरों और 15,000 Cooperative Societies को फायदा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, हमने हथकरघा बुनकरों के लिए भी एक बड़े पैकेज की घोषणा की है, इसके तहत 12वीं योजना के आखिर तक तकरीबन 2362 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इससे हमारे हथकरघा बुनकर भाइयों और बहनों को आसानी से कर्ज़ उपलब्ध होगा और उन्हें वाज़िब कीमतों पर रेशम और सूती धागे मुहैया हो पाएंगे।

मैंने लोगों को अकसर यह कहते सुना है कि सरकार ने सच्चर कमेटी की सिफरिशों को लागू नहीं किया है। मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। हमने सच्चर कमेटी की काफी सिफारिशों पर अमल करते हुए कई योजनाएं बनाई हैं और इन योजनाओं की वजह से हालात में बदलाव भी आ रहा है लेकिन मै यह मानता हूं कि इसमें तेजी लाने की जरूरत है । केन्द्र सरकार, सुरक्षा बलों तथा बैंकों की सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती में बढ़ोत्तरी हुई है। अल्पसंख्यकों को Priority Sector में दिए जाने वाले कर्ज़ का प्रतिशत केवल 4 सालों में 9 से बढ़कर 15 हो गया है। अल्पसंख्यकों के लिए बनाये गए प्रधान मंत्री के 15 सूत्री Programme में अच्छी प्रगति हो रही है।

हमारी सरकार हर साल अल्पसंख्यक बच्चों को लगभग 40 लाख वजीफे दे रही है। हमने उन 90 जिलों के लिए, जहां अल्पसंख्यक अधिक संख्या में हैं, Multi Sectoral Development Programme शुरू किया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यह हमारी सरकार की दो बहुत बड़ी पहलें हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले सप्ताह हमारी सरकार ने OBC के लिए निर्धारित 27% आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% Sub-quota बनाने का फैसला लिया है।

हमें उम्मीद है कि हमारी इन कोशिशों से हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े तबकों की हालत में सुधार होगा।

मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कमजोर तबकों के जिन लोगों ने कामयाबियां हासिल की हैं, उनकी achievements के बारे में आप सभी लोगों को बताएं। इससे हमारी नई पीढ़ी प्रेरित होगी और देश की तरक्की में ज्यादा अच्छी तरह योगदान दे पाएगी।

मैं इस सम्मेलन की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं और आप सबको आने वाले नए साल की मुबारकबाद देता हूं।

***